## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 03 / 2023
प्रकरण दायर दिनांक 06.01.2023
प्रकरण निर्णय दिनांक 16.08.2023

उनवान

1. गजराज सिंह उम्र 53 वर्ष पुत्र देवीसिंह
2. प्रेम कंवर उम्र 59 वर्ष
3. विमल कंवर उम्र 56 वर्ष
4. कमलेश कंवर उम्र 55 वर्ष पुत्रीयान देवीसिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासी बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

**" दावा इस्तकरार हक एवं इन्द्राज दुरूस्ती"**

**–:: निर्णय ::–**

वादीगण द्वारा वादपत्र इस आशय से प्रस्तुत किया ग्राम नया खेडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 60 पुराना 48 के ख.नं. 712 रकबा 0.72 हैक्टे., ख.नं. 712/811 रकबा 0.05 हेक्टे., ख.नं. 713 रकबा 0.57 हैक्टे., ख.नं. 714 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 715 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.नं. 716 रकबा 0.26 हैक्टे. ख.नं. 717 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 718 रकबा 0.01 हैक्टे. ख.नं. 719 रकबा 0.24 हैक्टे. ख.नं. 720 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 721 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 722 रकबा 0.16 हैक्टे. ख.नं. 743 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 744 रकबा 0.27 हैक्टे. ख.नं. 745 रकबा 0.27 हैक्टे. ख.नं. 746 रकबा 0.21 हैक्टे. ख.नं. 747 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 748 रकबा 0.09 हैक्टे. ख.नं. 788 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.नं. 789 रकबा 0.21 हैक्टे. ख.नं. 790 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 791 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 792 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.नं. 793 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 794 रकबा 0.33 हैक्टे. ख.नं. 795 रकबा 0.21 हैक्टे. कुल किता 26 कुल रकबा 5.69 हैक्टे. स्थित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जो उनको विरासत में पिता देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह से प्राप्त हुई है। जमाबंदी में वादीगण के दादा का नाम मुकन्दसिंह की जगह गोपालसिंह के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि वादीगण के दादा का सही नाम मुकन्दसिंह है. वादीगण के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड व पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह का नाम इन्द्राज हो रहा है। पिता देवीसिंह की दिनांक 06.05.1998 को मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के दादा मुकन्दसिंह को गोपाल सिंह के नाम से भी जानते थे, इसलिये समस्त दस्तावेजात में जमाबंदी साबिका जमाबंदी में देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत का इन्द्राज चला आ रहा है जबकि ग्राम बडियाल कलां में वादीगण के पिता देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह ही थे। देवीसिंह पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

गोपाल सिंह व देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह एक ही व्यक्ति है। वादीगण के पिता देवीसिंह राजस्व
अभिलेख जमाबंदी में पिता मुकन्दसिंह के स्थान पर पिता गोपाल सिंह अंकित कर दिया।जबकि
वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह है तथा उसी अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन
कार्ड एवं वोटरलिस्ट आदि में पिता मुकन्दसिंह का नाम अंकित है। वादीगण तथा वादीगण के पिता
को उक्त गलत इन्द्राज की कोई जानकारी नहीं रही है। उक्त गलत इन्द्राज होने के कारण
वादीगण के पिता देवी सिंह की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण एवं अन्य किसी प्रकार
की सरकारी सहायता वादीगण नहीं ले पा रहे है अतः ग्राम नया खेडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा
के खाता संख्या नया 60 पुराना 48 के ख.नं. 712 रकबा 0.72 हैक्टे., ख.नं. 712/811 रकबा 0.05
हैक्टे., ख.नं. 713 रकबा 0.57 हैक्टे., ख.नं. 714 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 715 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.नं.
716 रकबा 0.26 हैक्टे. ख.नं. 717 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 718 रकबा 0.01 हैक्टे. ख.नं. 719 रकबा
0.24 हैक्टे. ख.नं. 720 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 721 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 722 रकबा 0.16 हैक्टे
ख.नं. 743 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 744 रकबा 0.27 हैक्टे. ख.नं. 745 रकबा 0.27 हैक्टे. ख.नं. 746
रकबा 0.21 हैक्टे. ख.नं. 747 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 748 रकबा 0.09 हैक्टे. ख.नं. 788 रकबा 0.17
हैक्टे. ख.नं. 789 रकबा 0.21 हैक्टे. ख.नं. 790 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 791 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं.
792 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.नं. 793 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 794 रकबा 0.33 हैक्टे. ख.नं. 795 रकबा
0.21 हैक्टे. कुल किता 26 कुल रकबा 5.69 हैक्टे. में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्शित वादीगण के
पिता का नाम जो देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह गलत इन्द्राज कर दिया है उसको दुरूस्त किया जाकर
राजस्व अभिलेख जमाबंदी में देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह के नाम का इन्द्राज किया जाकर देवीसिंह पुत्र
मुकन्दसिंह किया जावें। वादीगण के पिता देवीसिंह की मृत्यु होने से देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह के
वादीगण वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर
राजस्व अभिलेख मे वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गई।
प्रकरण में पटवारी हल्का बडियाल कलां, भू.अ.नि. बडियाल कलां व उपतहसीलदार बडियाल कलां
द्वारा संयुक्त मौका पर्चा ग्राम पंचायत बडियाल कलां दिनांक 28.06.2023 प्रस्तुत किया गया। मौका
पर्चा अनुसार ग्राम खेडी की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 60 किता 26 रकबा 5.69
हैक्टे. देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023 शिविर स्थल बडियाल कलां में मजमेआम उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी की गई तो
उपस्थित लोगो ने बताया की देवीसिंह व गोपालसिंह दोनो सगे भाई थे तथा पिताजी का नाम
मुकन्दसिंह है वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम खेडी संवत् 2042 में देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति
राजपूत सा.देह किता 8 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण
पत्र एवं भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में देवीसिंह के पिताजी का नाम मुकन्दसिंह अंकित
किया हुआ है वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम मूण्डघिस्या में खाता संख्या 36 में ख.नं. 143, 144
किता 2 रकबा 0.38 हैक्टे. में देवीसिंह गोपालसिंह पुत्रान मुकन्दसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है।
इसी प्रकार खाता संख्या 52 में भी देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह हिस्सा 1/6 ख.नं. 215 वगै. दर्ज रिकॉर्ड
है मजमेआम उपस्थित लोगो ने बताया कि देवीसिंह व गोपालसिंह दोनो भाई है तथा इनके पिताजी
का नाम मुकन्दसिंह है। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर प्रकरण साक्ष्य में नियत किया गया।
साक्ष्यवादी शपथ पत्र शेरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी बडियाल कलां तहसील बसवा
जिला दौसा एवं गजराज सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बडियाल कलां तहसील बसवा
जिला दौसा का प्रस्तुत किया गया। प्रदर्श अंकित किये गये। वादीगण वकील बहस सुनी गयी।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

वादीगण वकील द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया गया तथा उक्त वर्णित राजस्व अभिलेख जमाबंदी में गलत दर्शित देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह को दुरूस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण बहस पर मनन किया। वादपत्र के संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2009 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत् 2042–44 प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत् 2030–33 प्रदर्श–5, मौका पर्चा उपतहसीलदार बड़ियालकलां दिनांक 28.06.2023 प्रदर्श–6, ग्राम पंचायत सरपंच का प्रमाण पत्र बड़ियाल कलां प्रदर्श–7, जागीर कमिश्नर प्रदर्श–8 का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वादीगण के दादा का नाम का गलत इन्द्राज होना प्रकट है। अतः उपरोक्त विवेचन से वादीगण वाद दावा इस्तकरार हक एवं इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि ग्राम नया खेडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 60 पुराना 48 के ख.नं. 712 रकबा 0.72 हैक्टे., ख.नं. 712/811 रकबा 0.05 हेक्टे., ख.नं. 713 रकबा 0.57 हैक्टे., ख.नं. 714 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 715 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.नं. 716 रकबा 0.26 हैक्टे. ख.नं. 717 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 718 रकबा 0.01 हैक्टे. ख.नं. 719 रकबा 0.24 हैक्टे. ख.नं. 720 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 721 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.नं. 722 रकबा 0.16 हैक्टे. ख.नं. 743 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 744 रकबा 0.27 हैक्टे. ख.नं. 745 रकबा 0.27 हैक्टे. ख.नं. 746 रकबा 0.21 हैक्टे. ख.नं. 747 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 748 रकबा 0.09 हैक्टे. ख.नं. 788 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.नं. 789 रकबा 0.21 हैक्टे. ख.नं. 790 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 791 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 792 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.नं. 793 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.नं. 794 रकबा 0.33 हैक्टे. ख.नं. 795 रकबा 0.21 हैक्टे. कुल किता 26 कुल रकबा 5.69 हैक्टे राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्शित देवीसिंह पुत्र गोपाल सिंह के स्थान पर देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह किया जावें। देवीसिंह पुत्र मुकन्दसिंह के वादीगण वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख मे वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावें।.पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई निर्णयानुसार विधिवत पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)